(298)

परिशिष्ट-1

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 22–72/2011/10–2 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2012

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन
भोपाल

विषयः–संयुक्त वन प्रबंध समितियों में "विकास खाता" तथा "समिति खाता" संचालित किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–संयुक्त वन प्रबंध का शासकीय संकल्प वर्ष 2001; परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजनाँ का ज्ञापन क्रमांक/वापरि/4/बी–47/98/2235 दिनांक 03.07.1998; प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश के ज्ञापन क्रमांक/स.व.प्र./20 दिनांक 10.01.2003, ज्ञापन क्र./एफ–13/2005/10–3/2049 दिनांक 10.06.2005 तथा ज्ञापन क्रमांक/सं.व.प्र./व.वि.अ./665 दिनांक 06.05.2008 एवं म.प्र. शासन, वन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 16–4/1991/10–2 दिनांक 11.02.2008।

—00—

संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा का क्रियान्वयन करने के लिये मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा वर्ष 1991, 1995, 2000 तथा 2001 में संकल्प जारी किए गए हैं। संयुक्त वन प्रबंध समितियों में दो खाते क्रमशः विकास खाता तथा समिति खाता संचालित किए जाने के निर्देश समय–समय पर जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश की मंत्रि परिषद के निर्णय दिनांक 02.02.2008 के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अपना परिपत्र क्रमांक एफ 16–4/1991/10–2 दिनांक 11.02.2008 जारी किया गया है। इसकी कंडिका–3(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि लाभांश की राशि को समितियां अपनी आम सभा में लिये गये निर्णय के अंतर्गत उपयोग में ला सकेंगे। मध्य प्रदेश की मंत्रि परिषद के निर्णय की भावना एकदम स्पष्ट है कि लाभांश की राशि समितियों द्वारा अर्जित की गई अपनी स्वयं की राशि है और इस राशि का व्यय / उपयोग करने की स्वतंत्रता संयुक्त वन प्रबंध समितियों को प्रदान की गई है।

2/ इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

1. संयुक्त वन प्रबंध समितियों के विकास खाते में वृक्षारोपण, पुनर्उत्पादन, संरक्षण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा कार्य, वन ग्राम विकास कार्य, राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत वनीकरण कार्य आदि से संबंधित राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को जिस कार्य हेतु प्रदान किया जाता है, उसी कार्य पर व्यय किया जाना अवश्यभावी होता है। अतः स्पष्ट किया

(300)

जाता है कि संयुक्त वन प्रबंध समिति के विकास खाते में प्रदान की गई समस्त राशि पर वित्तीय संहिता, वन वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता, भण्डार क्रय नियम इत्यादि के प्रावधान तथा समय–समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के प्रावधान लागू होंगे।

2. संयुक्त वन प्रबंध समितियों के समिति खाते में समितियों द्वारा अर्जित राशि जमा की जाती है। समितियों को उनके आवंटित क्षेत्र से उत्पादित होने वाले काष्ठ तथा बांस के लाभांश की राशि भी समिति खाते में जमा की जाती है। समिति खाते में प्राप्त राशि को संयुक्त वन प्रबंध समितियां अपनी आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुरूप उपयोग करने के लिये सक्षम हैं। इस राशि का उपयोग करते समय आम सभा में लिये गये निर्णय का स्पष्ट रूप से अभिलेखीकरण किया जाएगा। समितियां इस राशि को पारदर्शी रूप में उपयोग कर सकेंगी। समिति खाते की राशि को उपयोग करते समय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, ऊर्जा के संसाधनों की बचत, लाभांश की राशि का 25 प्रतिशत वनों के प्रबंध/वनीकरण कार्यों मे उपयोग आदि के संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश/परामर्शों का समितियां यथा संभव अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। समिति खाते पर वन संहिता, वन वित्तीय नियम, भण्डार क्रय नियम इत्यादि के प्रावधान लागू नही होंगे। क्योंकि समिति खाते में संधारित राशि समितियों की अपनी अर्जित धनराशि है।

3. मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत सभी समितियों के अंतर्गत "विकास खाता" तथा "समिति खाता" पृथक–पृथक रूप से संधारित किए जाने की कार्यवाही अनिवार्यतः की जाएगी। इस कार्यवाही का अनुपालन परिपत्र जारी होने के दो माह के भीतर सुनिश्चित करें।

4. विकास खाता तथा समिति खाते के पृथक–पृथक अंकेक्षण की व्यवस्था करें। अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन में विकास खाते तथा समिति खाते की अंकेक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करेंगे।

3/ अतः मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत गठित संयुक्त वन प्रबंध समितियों में "विकास खाता" तथा "समिति खाता" का संधारण तथा संचालन उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाए।

(आर.के.श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,वन विभाग

302

क्रमांक एफ. 22–72/2011/10–2 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2012

प्रतिलिपिः–

1/ महालेखाकार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4/ प्रबंध संचालक (मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5/ प्रबंध संचालक (मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7/ समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8/ समस्त क्षेत्र संचालक (टायगर रिजर्व), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
9/ समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि इस परिपत्र की जानकारी से अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा संयुक्त वन प्रबंध समितियों के अध्यक्षों, सचिव तथा सदस्यों को अवगत करावेंगे।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग